(148)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 579–तीन/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–2–16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 16(क)/अपील/2013–14.

1– बद्रीलाल पिता आनन्दीलाल
उर्फ अन्नतनारायण ब्यास
2– कृष्ण कुमार पिता स्व. आनन्दी लाल ब्यास
3– श्रीमती शकुन्तला बाई पति स्व. आनन्दी लाल ब्यास
निवासीगण बजरंग नगर देवास
कृषक ग्राम टोकखुर्द जिला देवास
4– भूपेन्द्र पिता स्व. सदाशिव ब्यास
5– महेन्द्र उर्फ संजय पिता स्व. सदाशिव ब्यास
6– सुशीलाबाई पति स्व. सदाशिव ब्यास
निवासीगण एवं कृषक ग्राम टोकखुर्द
जिला देवास
7– श्रीमती रेखाबाई पति कमलेश शर्मा
पिता स्व. सदाशिव ब्यास
8– श्रीमती कविता पिता स्व. सदाशिव ब्यास
9– श्रीमती सविता उर्फ शैलजा
पिता स्व. सदाशिव ब्यास
10– श्रीमती रश्मि पिता स्व. सदाशिव ब्यास
11– श्रीमती पूर्णिमा पिता स्व. सदाशिव ब्यास
द्वारा भूपेन्द्र ब्यास पिता स्व. सदाशिव ब्यास
निवासी टोकखुर्द जिला देवास
12– राहुल पिता विनोद कंजर
13– मनोज पिता राजाराम कंजर
14– महेन्द्र पिता सत्यनारायण कंजर
निवासीगण ग्राम भैरवाखेड़ा
तहसील टोकखुर्द जिला देवास
15– सन्तोष पिता कुवर कंजर
निवासी ग्राम समराखेड़ी
तहसील सोनकच्छ जिला देवास .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– ओमप्रकाश पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
2– धर्मेन्द्र पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
3– राजेन्द्र पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
4– बाबूलाल पिता स्व. नन्दकिशोर जोशी
5– रामबाबू पिता स्व. शंकरलाल जोशी
6– कमलकिशोर पिता स्व. शंकरलाल जोशी
7– श्रीमती शकुन्ताबाई पति स्व. शंकरलाल जोशी
निवासीगण एवं कृषक ग्राम मोलगा
तहसील तराना जिला उज्जैन .....अनावेदकगण

———

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.के. तिवारी, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तराना जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 65/अ–6/13–14 में पारित आदेश दिनांक 9–5–14 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 16(क)/अपील/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित होने से कार्यवाही स्थगित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 2–5–16 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं होने से आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह सर्वमान्य तथ्य है कि जहां वादित मामले में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित हो, वहां राजस्व न्यायालय को कार्यवाही रोक देना चाहिए, किन्तु इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम तर्क हेतु कई पेशियां नियत करने के बाद भी आवेदकगण की ओर से अन्तिम तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जबकि अनोवदकगण की ओर से अन्तिम तर्क प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण का आवेदन पत्र परिस्थितियों को देखते हुए निरस्त किया है । आवेदकगण अन्तिम तर्क प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण को लम्बित रखने के उद्देश्य से बार–बार समय चाहा जा रहा है ।

(3) प्रथमतः आवेदकगण द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, और व्यवहार न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है । द्वितीय यह कि अनावेदकगण द्वारा व्यवहार वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्वत्व का निर्धारण होना है, किन्तु आवेदकगण ने बिना किसी वैध अधिकार के फर्जी नामान्तरण करा लिया गया था, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है । चूंकि दोनों प्रकरणों में वाद एवं विषय वस्तु भिन्न होने से इस प्रकरण को स्थगित किये जाने का कोई आधार नहीं है ।

(4) इस न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त के जिस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त प्रकरण एवं वर्तमान प्रकरण की विषय वस्तु भिन्न है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित प्रकरण स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।

तर्कों के समर्थन में 2001 आर.एन. 165 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं दिया गया है जो कि अपने स्थान पर पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तराना जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–2–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर